भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 234*

9 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्र में निवेश

234. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आगामी वर्षों में कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विशेषकर आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>कृषि क्षेत्र में निवेश से संबंधित दिनांक 09.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 234 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ख): कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, आने वाले वर्षों में देश में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश लक्षित है। निवेश सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में होगा। सरकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डीएसीएंडएफडब्ल्यू के लिए बढ़ाए गए बजट आवंटन से यह स्पष्ट है **-**

वर्ष	ब.आ. (रुपये करोड़ में)
2015-16	17004.35
2016-17	35983.69
2017-18	41855.00
2018-19	46700.00
2019-20	130485.21

सरकार इन निवेशों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु विविध नीतियों तथा कार्यात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से सक्रिय होकर कार्य कर रही है -

मॉडल कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन (संवर्धन और प्रोन्नयन) अधिनियम, 2017

सरकार ने पारदर्शिता, बाधा मुक्त कृषि बाजार के साथ-साथ कई वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी विपणन चैनलों को बढ़ावा देकर किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल अधिनियम "कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और प्रोन्नयन) अधिनियम, 2017" जारी किया है। इसमें निजी मण्डियों, प्रत्यक्ष विपणन, किसान- उपभोक्ता मण्डी की स्थापना जैसे वैकल्पिक विपणन चैनलों के लिए प्रावधान है, ताकि किसानों को अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी एवं लाभकारी मूल्यों पर विपणन करने में सुविधा हो।

मॉडल कृषि उत्पादन और पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं (संवर्धन और प्रोन्नयन) अधिनियम, 2018

सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपनाए जाने के लिए एक प्रगतिशील और सुविधायुक्त मॉडल अधिनियम "कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं (संवर्धन और प्रोन्नयन) अधिनियम, 2018" तैयार किया है और मई, 2018 में जारी किया है। उपर्युक्त

मॉडल संविदा खेती अधिनियम में कृषिगत उत्पादन और पशुधन के लिए संविदा सेवाएं सहित फ़सल उत्पादन से लेकर फसलोपरांत विपणन तक समग्र मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला कवर होती है।

राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम)

प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को उनकी उत्पादों के लिए बेहतर और वास्तविक मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) योजना 14 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों की उपज की गुणवत्ता के समरुप मूल्य भी प्रदान करना है। अब तक, देश भर के 585 थोक विनियमित बाजारों को 31 मार्च, 2018 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ समेकित किया गया है।

नीति आयोग की 5वीं शासकीय परिषद बैठक 15 जून, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें 'कृषि का बदलाव: संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता' कार्यसूची के भाग के रुप में शामिल किया गया था। कार्पोरेट निवेश को बढ़ावा देने के साथ कृषि में संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

तत्पश्चात दिनांक 1.7.2019 को 'भारतीय कृषि का बदलाव' हेतु कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार लाने पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। श्री देवेन्द्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र इस समिति के संयोजक हैं और कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के मुख्यमंत्री तथा कृषि, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के केन्द्रीय मंत्री इस समिति के सदस्य हैं। नीति आयोग के सदस्य (कृषि) सदस्य सचिव हैं।

चूंकि कृषि राज्य का विषय है अत: कृषि निर्यात, कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन अधिनियम (एपीएलएमसी)/संविदा खेती, जैविक खेती, पीएम-किसान, पीएम-किसान मान धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) विषय पर चर्चा करने के लिए 08.07.2019 को राज्य कृषि मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जो कृषि, निवेश तथा किसानों की आय को बढ़ाने पर आधारित होगा।

डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

ता. प्र. सं. 234

अनुबंध

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

क्रम संख्या	योजना का नाम
1.	ब्याज राजसहायता
2.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एनसीआईपी
3.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
4.	एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन
5.	फसल अवशिष्ट के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
6.	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा)
7.	कल्याणकारी योजनाओं के लिए दलहन का वितरण
8.	पीएम-किसान (आय सहायता योजना)
	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
9.	पीएम- किसान-पेंशन
10.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)
11.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
12.	समेकित बागवानी विकास मिशन
13.	राष्ट्रीय जैविक खेती संवर्द्धन परियोजना
14.	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16.	सतत कृषि मिशन (आरएडीपी)
17.	भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण
18.	परम्परागत कृषि विकास योजना
19.	राष्ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना
20.	राष्ट्रीय बांस मिशन
21.	कृषि विस्तार उप-मिशन
22.	सूचान प्रौद्योगिकी
23.	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन
24.	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन
25.	पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उप-मिशन
26.	समेकित कृषि सहकारिता योजना
27.	समेकित कृषि विपणन योजना
28.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
29.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन एवं ऑयल पाम
30.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- अन्य फसलें
31.	समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना
32.	राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण

*****